


कमगढ़ गन्धकारों एवं नौ के



न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

प्रकरण क्र. /2014 रिब्यू

रिब्यू क्र. 777 III/14
प्रकार *[Handwritten]*

[Handwritten signature]

1. हरगोविन्द पुत्र छुट्टी यादव
2. राजाराम पुत्र छुट्टी यादव
निवासीगण ग्राम हनुमतपुरा (बड़ा घाट) तहसील बलदेवगढ़, जिला टीकमगढ़ (म.प्र.)

..... आवेदकगण
विरुद्ध

1. नारायण दास पुत्र हल्के यादव ग्राम ग्राम हनुमतपुरा (बड़ा घाट) तहसील बलदेवगढ़, जिला टीकमगढ़ (म.प्र.)
2. म.प्र. शासन द्वारा कलेक्टर टीकमगढ़

..... अनावेदकगण

रिब्यू प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 51 म.प्र.भू.रा.सं. विरुद्ध आदेश माननीय राजस्व मंडल के सदस्य श्री अशोक शिवहरे के न्यायालय के प्रकरण क्रमांक 4086 11/2012 हरगोविन्द व अन्य। विरुद्ध नारायण व अन्य में पारित आदेश दिनांक 13.01.2014 के।

माननीय महोदय.

777 / III / 2014
रिब्यू जो सदस्यक
श्री अथवा

प्रति

13.01.2014

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

पुनरावलोकन प्रकरण क्रमांक : 777 / 111 / 2014

जिला टीकमगढ़

स्थान तथा
दिनांक

कार्यवाही तथा आदेश

पक्षकारों एवं
अभिभाषकों
परतः

21-7-14

न्यायालयीन प्रकरण क्रमांक 4086 / 11 / 2012 में पारित अंतिम आदेश दिनांक 13-1-2014 के पुनरावलोकन हेतु यह आवेदन म0प्र0भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 51 के अंतर्गत प्रस्तुत किया गया है।

2/ आवेदकगण के अभिभाषक ने तर्कों में बताया कि मोतीलाल पुत्र उजयारे आवेदकगण के मामा थे एवं आवेदकगण बचपन से ही अपने मामा के यहाँ पुत्रवत् रहे हैं। दिनांक 31-12-91 को उप पंजीयक बल्देवगढ़ के कार्यालय में बसीयत लिखी गई है जिसके कारण अनावेदकगण को सूचना दिया जाना आवश्यक नहीं था। आदेश दिनांक 13-1-14 लिखे जाते समय वास्तविकता के विपरीत निष्कर्ष निकाले गये हैं इसलिये पुनरावलोकन आवेदन स्वीकार किया जाकर प्रकरण क्रमांक 4086 / 11 / 2012 में पारित आदेश दिनांक 13-1-14 रिव्यु किया जावे।


3/ आवेदक के अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार करने एवं न्यायालयीन प्रकरण क्रमांक 4086 / 11 / 2012 में आये तथ्यों तथा आदेश दिनांक 13-1-14 में निकाले गये निष्कर्षों के अवलोकन पर पाया गया कि आदेश दिनांक 13-1-14 अधीनस्थ न्यायालय के प्रकरण में आये तथ्यों एवं निगरानी क्रमांक 4086 / 11 / 12 में अंकित तथ्यों के पूर्ण विवेचन उपरांत अंतिम आदेश पारित किया गया है। पुनरावलोकन आवेदन में ऐसा कोई ठोस आधार अथवा दस्तावेज नहीं बताया गया है जिसके आधार पर आदेश दिनांक 13-1-14 का पुनरावलोकन किया जावे। म0प्र0भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 51 में पुनरावलोकन के लिये निम्न आधारों में से एक या एक से अधिक आधार होना आवश्यक है -



- (अ) किसी नई और महत्वपूर्ण बात या साक्ष्य का पता चलना जो सम्यक तत्परता के पश्चात् भी उस पक्षकार के ज्ञान में नहीं थी अथवा उसके द्वारा पेश नहीं की जा सकती थी या ,
- (ब) मामले के अभिलेख से ही प्रकट कोई भूल या गलती, या
- (स) कोई अन्य पर्याप्त कारण ।

आवेदक क अभिभाषक यह समाधान नहीं करा सके हैं कि उनके द्वारा उक्त में से कोई ऐसा दस्तावेज अथवा तथ्य खोज लिया है जो निगरानी क्रमांक 4086 / 11 / 12 प्रस्तुत करने के दिनांक को अथवा तर्क प्रस्तुत करने के दिनांक तक वह प्रस्तुत नहीं कर सके ।

6 / उपरोक्त कारणों से पुनरावलोकन आवेदन सशक्त आधारों पर आधारित न होने से अमान्य किया जाता है । पक्षकार टीप करें । अधीनस्थ न्यायालय को आदेश की प्रति भेजकर प्रकरण रिकार्ड रूम में जमा करें ।


(अशोक शिवहरे)
सदस्य
राजस्व मण्डल